रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275575
CG-DL-E-19082026-275575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948
No. 672]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 738(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आर्थिक अधिकारी भर्ती नियम, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आर्थिक अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हे कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या.**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आर्थिक अधिकारी।	6(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	**साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।**	वेतन स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नोट:आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
अर्हताएं:किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या व्यवसाय अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र का अनिवार्य अध्ययन होना चाहिए।
अनुभव: श्रम मामलों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह या संकलन और विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव।
टिप्पण 1: उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में, लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, अनुभव से संबंधित अर्हता (अर्हताएं) के संबंध में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छूट योग्य है/हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उसके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार का उनके लिए उपलब्ध होना संभव नही है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा,या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष नोट: केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करना होगा।	(i) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत। (ii) पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत और जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)

पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -6 (₹35,400-1,12,400) में अन्वेषक ग्रेड-II में 5 वर्ष की नियमित सेवा और श्रम मामलों से संबंधित डेटा के संग्रह या संकलन और विश्लेषण में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण किया हो तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:
केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी:-

(क) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; अथवा

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (₹35,400-1,12,400) या इसके सदृश नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो; और

(ख) जिनके पास कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।.

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	
(12)	
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन) -(अध्यक्ष); (2) निदेशक / उप सचिव (प्रशासन) - (सदस्य); (3) संयुक्त निदेशक (रोजगार महानिदेशालय) - (सदस्य)।	समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन) - (अध्यक्ष); (2) निदेशक / उप सचिव (प्रशासन) - (सदस्य); (3) संयुक्त निदेशक (रोजगार महानिदेशालय) - (सदस्य)।

किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
सीधी भर्ती करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/01/2025-प्रशा.I]

डॉ. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour and Employment, Economic Officer Recruitment Rules, 2005, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Officer in the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Economic Officer Group 'B' Post Recruitment Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.- The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**No. of posts.**	**Classification.**	**Pay Level in Pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Economic Officer.	6(2026) * Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service**, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay level-7 (₹44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Qualification: Post Graduate degree in Economics or Business Economics or Applied Economics or Econometrics from a recognised university or institute; or Post Graduate Degree in Mathematics or Statistics or Commerce from a recognised university or institute and must have studied Economics as a subject at graduation level.
Experience: Two years experience in collection or compilation and analysis of data related to labour matters.
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years Note: There shall be a mandatory induction training of two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) Fifty percent by direct recruitment. (ii) Fifty percent by promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

(11)
Promotion: Investigator Grade-II in pay level-6 (₹35,400-1,12,400) in Pay Matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two weeks in collection or compilation and analysis of data related to labour matters and training of various software for statistical analysis. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-6 (₹35,400-1,12,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience required for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	
(12)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary (Administration) - (Chairman); (2) Director / Deputy Secretary (Administration) - (member); (3) Joint Director (Directorate General of Employment) - (member).	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Joint Secretary (Administration) - (Chairman); (2) Director / Deputy Secretary (Administration) - (member); (3) Joint Director (Directorate General of Employment) - (member).

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12018/01/2025-Adm.I]

Dr. MAHENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.08.19 12:40:22 +05'30'